अध्याय III
वित्तीय मामलों की रिपोर्टिंग

प्रासंगिक और विश्वसनीय जानकारी के साथ सही आन्तरिक वित्तीय रिपोर्टिंग कुशल और प्रभावी शासन में महत्वपूर्ण योगदान देती है। अनुपालन और नियंत्रण पर रिपोर्ट, यदि परिचालन में है तथा सटीक और प्रभावी है, तो यह अनुकूल योजना बनाने एवं निर्णय लेने सहित राज्य सरकार को उनकी प्रबन्धन की मूलभूत जिम्मेदारियों को पूरा करने में सहायता करती है। यह राज्य सरकार और उसकी विभिन्न संस्थाओं, जैसे कि स्वायत्त निकायों, स्थानीय निकायों आदि की वित्तीय और परिचालन सुदृढ़ता की सही, निष्पक्ष और पारदर्शी चित्रण करने में योगदान देती है।

वित्तीय रिपोर्टिंग के साथ यह अध्याय, चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकार एवं इसके विभिन्न अधीनस्थ कार्यालयों में विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं एवं निर्देशों की अनुपालना का विहंगम दृश्य एवं स्थिति प्रस्तुत करता है।

3.1 उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम (सावि एवं लेनि), 2012 प्रावधित करते हैं कि विशिष्ट प्रयोजनों के लिये उपलब्ध कराये गये अनुदानों हेतु, विभागीय अधिकारियों द्वारा अनुदानग्राही से उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त किये जाने चाहिये तथा सत्यापन के बाद, उनकी स्वीकृति की तिथि से 12 माह के भीतर, जब तक कि अन्यथा निर्धारित न किया गया हो, प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक) को प्रेषित किये जाने चाहिये। तथापि, वर्ष 2004-05 से 2015-16 के दौरान प्रदत्त अनुदानों में से ₹ 9.32 करोड़ के 104 उपयोगिता प्रमाण-पत्र बकाया थे। बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का विभागवार विवरण ***परिशिष्ट 3.1*** में दिया गया है। उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब की वर्ष-वार स्थिति को निम्न तालिका 3.1 में सांराशीकृत किया गया है:

तालिका 3.1 : बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र

(₹ करोड़ में)

वर्षों की संख्या में विलम्ब की सीमा	30 जून 2017 को बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र	
	संख्या	राशि
0-1	22	0.44
1-3	28	0.47
3-5	32	5.22
5-7	19	1.17
7-9	02	1.90
9 एवं अधिक	01	0.12
योग	**104**	**9.32**

उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की बकाया राशि का लगभग 99 प्रतिशत भाग मुख्यत: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (100 उपयोगिता प्रमाण-पत्र: ₹ 6.31 करोड़) तथा परिवार कल्याण विभाग (3 उपयोगिता प्रमाण-पत्र: ₹ 2.89 करोड़) से सम्बन्धित था।

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर के ध्यान में लाये जाने पर बताया गया (अक्टूबर 2017) कि परिवार कल्याण प्रोत्साहन पुरस्कार योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न पंचायती राज संस्थानों को वर्ष 2007-08 से 2009-10 के दौरान प्रदान की गई पुरस्कार राशि के लिए सभी बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों को संबंधित संस्थानों से प्राप्त कर लिया गया है।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने बताया (जुलाई 2017) कि गाड़िया लोहार आवास के निर्माण हेतु स्थानीय निकाय विभाग, बीकानेर को आवंटित ₹ 0.12 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण-पत्र न्यायालय स्थगन आदेश के कारण वर्ष 2004-05 से लंबित थे।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने बताया (जुलाई 2017) कि बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र मुख्यत: केन्द्रीय नमक व समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान, भावनगर, गुजरात को (i) वर्ष 2012-13 से 2013-14 के दौरान राजस्थान में रिवर्स ऑस्मोसिस (आरओ) संयंत्र स्थापित करने हेतु एवं (ii) वर्ष 2009-10 से 2013-14 के दौरान विद्यालयों में विज्ञान क्लब की स्थापना हेतु प्रदान किये गये अनुदान से संबंधित थे। विलम्ब का कारण आरओ संयंत्रों का स्थापित नहीं होना बताया गया, जिन्हें दिसम्बर 2017 तक स्थापित किया जाना था एवं विद्यालयों की अधिक संख्या होने से उपयोगिता प्रमाण-पत्र संग्रह नहीं होना बताये गये।

विभागों द्वारा निर्धारित अवधि में उपयोगिता प्रमाण-पत्रों को प्रस्तुत नहीं करना, अनुदानों के उपयोग की प्रणाली में दोष तथा वित्तीय अव्यवस्था के संकट से युक्त होना इंगित करता है।

3.2 लेखाओं का प्रस्तुत नहीं किया जाना/विलम्ब से प्रस्तुत किया जाना

संस्थाएँ, जिनकी लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 14 के अधीन आकृष्ट होती हैं, की पहचान करने के लिए सरकार/विभागाध्यक्षों द्वारा प्रत्येक वर्ष (i) विभिन्न संस्थाओं को प्रदत्त वित्तीय सहायता (ii) प्रदान की गयी सहायता का उद्देश्य और (iii) संस्थाओं के कुल व्यय के सम्बन्ध में विस्तृत सूचना, लेखापरीक्षा को प्रस्तुत करना अपेक्षित है। इससे आगे, लेखापरीक्षा एवं लेखा विनियम, 2007 का विनियम 84 प्रावधित करता है कि सरकार एवं विभागों के प्रमुख जो निकायों एवं प्राधिकरणों को अनुदान एवं/और ऋण संस्वीकृत करते हैं, प्रत्येक वर्ष जुलाई के अंत में उन

निकायों एवं प्राधिकरणों की सूची, जिनको कि गत वर्ष के दौरान कुल समेकित राशि ₹ 10 लाख और अधिक का अनुदान एवं/और ऋण का भुगतान किया गया हो, का विवरण मय (क) सहायता की राशि, (ख) उद्देश्य जिसके लिए सहायता दी गयी हो एवं (ग) निकाय एवं प्राधिकरण का कुल व्यय, इंगित करते हुए लेखापरीक्षा को प्रेषित करेंगे।

कुल 167 स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों में से, 58 स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों के वर्ष 2015-16 तक के बकाया 109 वार्षिक लेखे, जून 2017 तक प्राप्त नहीं हुए थे। निकायों एवं प्राधिकरणों, जिन्होंने विभिन्न शासकीय विभागों से पूर्व वर्षों के दौरान अनुदान प्राप्त किया है, के लेखाओं के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब का विवरण ***परिशिष्ट 3.2*** में दिया गया है तथा उसकी वर्ष-वार बकाया स्थिति निम्नानुसार है:

तालिका 3.2: निकायों/प्राधिकरणों से देय वार्षिक लेखाओं की वर्ष-वार बकाया

विलम्ब वर्षों में	निकायों/प्राधिकरणों की संख्या	गत वर्ष के दौरान प्राप्त हुई अनुदान (₹ करोड़ में)	गत वर्ष के दौरान किया गया खर्च (₹ करोड़ में)
0-1 वर्ष	38	456.58	556.26
1-3 वर्ष	11	173.75	84.18
3-5 वर्ष	6	12.96	6.09
5 वर्ष से अधिक	3	0.83	0.98
योग	**58**	**644.12**	**647.51**

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि 17 निकायों/प्राधिकरणों के लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में एक से पाँच वर्षों तक का विलम्ब हुआ। यह भी देखा गया कि बहुत से विभागों द्वारा प्रयोजन, जिसके लिए सहायता राशि स्वीकृत की गयी थी, अवगत नहीं करवाया गया। परिणामस्वरूप, लेखापरीक्षा, विधानमण्डल/सरकार को स्वीकृत अनुदान के उपयोग की रीति से संबंधित, विशेष रूप से विपथन या दुरूपयोग के मामलों में, आश्वस्त नहीं कर सकी।

3.3 स्वायत्त निकायों के लेखाओं/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब

राज्य सरकार द्वारा विधिक सहायता, मानवाधिकार, खादी विकास एवं निर्माण कर्मकार कल्याण के क्षेत्र में चार[1] स्वायत्त निकाय स्थापित किये गये। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अधीन 36 जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों ने अनुदान प्राप्त किया एवं अपने खाते प्रस्तुत किये। इन निकायों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है। राज्य में राजस्थान खादी एवं

[1] राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग मण्डल, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण तथा राजस्थान भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, जयपुर।

ग्रामोद्योग मंडल के लेखाओं की लेखापरीक्षा, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्ति एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 20(1) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को सौंपी गई है, जबकि अन्य तीन निकायों की लेखापरीक्षा, उनके सम्बन्धित अधिनियमों में किये गये प्रावधानों के अनुसार भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को सौंपी गई है।

तथापि, राजस्थान भवन और अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के वर्ष 2015-16 के लेखे जून 2017 तक प्राप्त नहीं हुए हैं।

3.4 विभागीय प्रबंधित वाणिज्यिक उपक्रम

कतिपय सरकारी विभागों के विभागीय उपक्रमों, जो अर्द्ध-वाणिज्यिक प्रकृति की गतिविधियों का निष्पादन करते हैं, द्वारा वित्तीय संचालनों के कार्य परिणामों को निर्धारित प्रारूप में वर्षिक प्रोफॉर्मा लेखे तैयार किये जाने अपेक्षित होते हैं, ताकि सरकार उनके कार्यकलापों का आँकलन कर सके।

विभागीय प्रबंधित वाणिज्यिक तथा अर्द्ध-वाणिज्यिक उपक्रमों के अंतिमीकृत लेखे उनकी समग्र वित्तीय स्थिति तथा उनकी व्यावसायिक कार्यकुशलता को प्रदर्शित करते है। समय पर लेखों के अंतिमीकरण के अभाव में, जवाबदेयता सुनिश्चित करने तथा कार्य कुशलता में सुधार लाने हेतु सुधारात्मक उपाय, यदि कोई आवश्यक हों, समय से नहीं लिये जा सकते।

सरकार में, विभागाध्यक्षों को यह सुनिश्चित करना होता है कि उपक्रम ऐसे लेखाओं को तैयार करें और उन्हें विनिर्दिष्ट समयावधि में महालेखाकार को लेखापरीक्षा हेतु प्रस्तुत करें। मार्च 2017 तक, 10 में से मात्र आठ उपक्रमों द्वारा वर्ष 2015-16 तक के लेखे तैयार कर प्रस्तुत किये गये। प्रोफॉर्मा लेखे तैयार करने तथा सरकार द्वारा किये गये निवेश की विभाग-वार स्थिति ***परिशिष्ट 3.3*** में दी गई है।

3.5 दुर्विनियोजन, हानियाँ, जालसाजी इत्यादि

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम (भाग-I) के नियम 20 में उल्लेखित है कि यदि किसी कोषागार या किसी दूसरे कार्यालय/विभाग में, सरकार द्वारा या सरकार के पक्ष में धारित सार्वजनिक राशि, विभागीय राजस्व या प्राप्तियों, स्टाम्पों, भण्डार या अन्य सम्पत्ति की, दुर्विनियोजन, कपटपूर्ण आहरण/भुगतान या अन्य किसी प्रकार से हानि हुई है तो उसकी सूचना संबंधित अधिकारी द्वारा अपने वरिष्ठ प्राधिकारी के साथ-साथ प्रधान महालेखाकार को तुरन्त भेजी जायेगी।

राज्य सरकार द्वारा 31 मार्च 2017 तक विभिन्न विभागों के, राशि ₹ 67.02 करोड़ के दुर्विनियोजन (328) एवं राजकीय धन की चोरी/हानि (549) के 877 प्रकरण प्रतिवेदित किये गये, जिन पर अंतिम कार्यवाही लम्बित (जून 2017) थी। इन लम्बित प्रकरणों का विभाग-वार एवं अवधि-वार विश्लेषण ***परिशिष्ट 3.4*** में तथा इन प्रकरणों की प्रकृति का विवरण ***परिशिष्ट 3.5*** में दिया गया है। लम्बित प्रकरणों का अवधि-वार विवरण तथा चोरी/हानि एवं दुर्विनियोजन, प्रत्येक श्रेणी में लम्बित प्रकरणों की संख्या जैसा कि इन परिशिष्टों से प्रकट हुआ, को **तालिका 3.3** में सांराशीकृत किया गया है:

तालिका 3.3: दुर्विनियोजन, हानियों, जालसाजी इत्यादि की रूपरेखा

लम्बित प्रकरणों का अवधि वार विवरण			लम्बित प्रकरणों की प्रकृति		
अवधि वर्षों में	प्रकरणों की संख्या	निहित राशि (₹ करोड़ में)	प्रकरणों की प्रकृति	प्रकरणों की संख्या	निहित राशि (₹ करोड़ में)
0-5	236	27.04	सामग्री की चोरी/हानि	**549**	**15.48**
5-10	166	19.66	दुर्विनियोजन/गबन	**328**	**51.54**
10-15	205	9.25			
15-20	110	6.23			
20-25	95	2.50	-	-	-
25 एवं अधिक	65	2.34	-	-	-
योग	**877**	**67.02**	**कुल लम्बित प्रकरण**	**877**	**67.02**

स्रोत: विभागों से प्राप्त सूचना।

प्रकरणों के बकाया रहने के कारणों को निम्न तालिका में सूचीबद्ध किया गया है:

तालिका 3.4: दुर्विनियोजन, हानियों, जालसाजी इत्यादि के प्रकरणों के बकाया रहने के विलम्ब के कारणों का वर्गीकरण

विलम्ब का कारण	प्रकरणों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
विभागीय एवं आपराधिक जांच प्रतीक्षित	306	29.57
वसूली/अपलेखन के आदेश प्रतीक्षित	505	32.48
न्यायालयों में बकाया	66	4.97
योग	**877**	**67.02**

स्रोत: विभागों से प्राप्त सूचना।

3.6 निजी निक्षेप खाते

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के नियम 260(1) के अनुसार सरकारी लेखे में कोई भी धनराशि तब तक निक्षेप के लिए प्राप्त नहीं की जायेगी, जब तक कि उन्हें किन्ही कानूनी उपबंधों या सरकार के किन्ही सामान्य या विशेष आदेशों के द्वारा सरकार की अभिरक्षा में रखना आवश्यक अथवा प्राधिकृत न किया गया हो।

वर्ष 2016-17 के दौरान, निजी निक्षेप खाते के मुख्य शीर्ष 8443-सिविल निक्षेप-106-निजी निक्षेप में राशि ₹ 34,599.49 करोड़ हस्तान्तरित/जमा किये गये, जो कि कुल व्यय (₹ 1,44,120 करोड़) का 24 प्रतिशत था। इसमें से, ₹ 3,626.96 करोड़ (10.48 प्रतिशत) की राशि केवल मार्च 2017 में निजी निक्षेप खातों में हस्तान्तरित/जमा की गई। मार्च के महीने में व्यापक राशि का हस्तान्तरण अपर्याप्त बजटरी नियंत्रण को दर्शाता है।

31 मार्च 2017 को राज्य सरकार के निजी निक्षेप खातों की स्थिति निम्नानुसार थी:

(₹ करोड़ में)

विवरण	खातों की संख्या	01.04.2016 को शेषों की स्थिति	निजी निक्षेप खाते		अव्ययीत राशि (31 मार्च 2017 को)
			प्राप्त राशि	संवितरित राशि	
प्रचलित निजी निक्षेप खाते	1,513	3,541.47	34,599.63*	32,958.22	5,182.88
अप्रचलित निजी निक्षेप खाते (पाँच वर्षों से अधिक)	15	0.95	13.57	0.95	13.57
योग	**1,528**	**3,542.42**	**34,613.20**	**32,959.17**	**5,196.45**

* अप्रचलित निजी निक्षेप खाते से हस्तांतरित राशि ₹ 0.14 करोड़ सम्मिलित है।

निजी निक्षेप (पीडी) खातों में ₹ 5,196.45 करोड़ (1,528 पीडी खाते) के अव्ययीत शेष थे, जिसमें ₹ 50 करोड़ एवं उससे अधिक शेष वाले तेरह[2] पीडी खातों की राशि ₹ 2,158.99 करोड़ (41.50 प्रतिशत) सभी पीडी खातों के कुल अव्ययीत शेषों में सम्मिलित है।

राजस्थान कोषागार नियम, 2012 के नियम 98 के अनुसार, प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह में कोषाधिकारी अपने अधीन कोषालय और उप-कोषालयों के प्रचलित पीडी खातों

[2] (क) निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, उदयपुर (₹ 693.98 करोड़) (ख) आयुक्त, जनजातीय क्षेत्र विकास, उदयपुर (₹ 260.61 करोड़), (ग) राजस्थान शहरी ढ़ाँचागत वित्तीय एवं विकास निगम, जयपुर (सचिवालय) (₹ 362.69 करोड़, (घ) निदेशक एवं परियोजना निदेशक, शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, जयपुर (सचिवालय) (₹ 139.40 करोड़), (ड़) प्रबन्ध निदेशक एवं वित्तीय सलाहकार, राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड, जयपुर (सचिवालय) (₹ 246.02 करोड़), (च) प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान कम्प्यूटर इन्फो सर्विसेज लिमिटेड, जयपुर (सचिवालय) (₹ 170.94 करोड़), (छ) राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड, जयपुर (सचिवालय) (₹ 132.15 करोड़) (ज) इंदिरा आवास योजना, जयपुर (सचिवालय) (₹ 153.20 करोड़), (झ) राजस्थान कौशल एवं आजीविका मिशन, जयपुर (सचिवालय) (₹ 94.12 करोड़), (य) राजस्थान अक्षय ऊर्जा विकास निधि, जयपुर (सचिवालय) (₹ 99.97 करोड़) (ट) राजस्थान राज्य स्वास्थ्य समिति, जयपुर (सचिवालय) (₹ 79.65 करोड़), (ठ) परियोजना निदेशक/ वित्तीय सलाहकार, राजस्थान शहरी ढ़ाँचागत विकास परियोजना, जयपुर (सचिवालय) (₹ 54.37 करोड़) एवं (ड) राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर (सचिवालय) (₹ 82.02 करोड़)।

की समीक्षा करेगा तथा वित्त (मार्गोपाय) विभाग को भेजने हेतु पिछले पाँच पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षो में अप्रचलित रहे खातों को बन्द करने की अनुशंषा के साथ सूची तैयार करेगा।

राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा रखे गये पीडी खातों की स्थिति की समीक्षा में पाया गया कि 31 मार्च 2017 को, ₹ 13.57 करोड़ के 15 पीडी खाते ***(परिशिष्ट 3.6)*** गत पाँच वर्षों (2012-17) से अप्रचलित थे। इनमें से, तीन पीडी खातों जैसा कि राज्य संग्रहालय और विरासत अध्ययन संस्थान, जयपुर (सचिवालय), सिरेमिक और विद्युत विकास समिति, बीकानेर एवं उद्यमशीलता और प्रबंध विकास संस्थान, जयपुर (सचिवालय) में क्रमशः ₹ 10.06 करोड़, ₹ 2.31 करोड़ एवं ₹ 0.79 करोड़ के महत्वपूर्ण शेष थे।

प्रकरण ध्यान में लाये जाने पर, संयुक्त निदेशक, कोष एवं लेखा, जयपुर ने तथ्यों को स्वीकार किया (अक्टूबर 2017) एवं बताया कि 15 में से 12 अप्रचलित पीडी खाते बंद कर दिए गए हैं और शेष तीन पीडी खातों को प्रचलित रखने हेतु वित्त विभाग से अनुरोध किया गया है।

इसके अतिरिक्त, पंचायती राज संस्थान (पी आर आई) पी आर आई निधि[3] रखते हैं जो कि मुख्य शीर्ष 8448-स्थानीय निकायों की जमा- 109-पंचायत निकाय निधियां के अन्तर्गत वर्गीकृत है। इसके आगे, पंचायत समिति एवं जिला परिषद निकटतम सरकारी कोषागार/उप-कोषागार में संधारित किये गये पीडी खातों में तथा ग्राम पंचायत निकटतम डाकघर या किसी अनुसूचित बैंक की शाखा में, समस्त प्राप्तियाँ जमा करेंगी।

यह देखा गया कि वर्ष 2012-16 के दौरान, जिला परिषद एवं पंचायत समिति निधियों के शेषों में वृद्धि की प्रवृति देखी गई तथा वर्ष 2016-17 के दौरान अन्तिम शेष क्रमशः ₹ 1,683.33 करोड़ एवं ₹ 1,280.05 करोड़ था जैसाकि नीचे तालिका में दिया गया है:

---

[3] राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 64 के अनुसार पंचायती राज संस्थानों में जिला परिषद, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत क्रमशः जिला परिषद निधि, पंचायत समिति निधि एवं ग्राम पंचायत निधि का रखरखाव करती है, जिसमें अधिनियम के तहत वसूल किया हुआ या वसूली योग्य राशि और अन्यथा पंचायती राज संस्थानों द्वारा प्राप्त समस्त राशि, जैसे कि केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा प्राप्त अनुदान और राज्य सरकार से राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त राशि और स्व-राजस्व, जिसमें पंचायतों की कर और कर-भिन्न प्राप्तियाँ शामिल है।

(₹ करोड़ में)

वर्ष	जिला परिषद निधि (8448-109-03)				पंचायत समिति निधि (8448-109-02)				वर्ष के अंत में कुल अंतिम शेष
	आरम्भिक शेष	प्राप्ति	व्यय	अंतिम शेष	आरम्भिक शेष	प्राप्ति	व्यय	अंतिम शेष	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (5+9)
2012-13	1,104.83	2,356.16	2,044.31	1,416.68	470.20	884.48	704.67	650.01	2,066.69
2013-14	1,416.68	2,619.37	2,578.78	1,457.27	650.01	1,568.13	1,473.86	744.28	2,201.55
2014-15	1,457.27	2,732.06	2,753.13	1,436.20	744.28	1,289.62	1,140.81	893.10	2,329.30
2015-16	1,436.20	4,412.59	3,879.91	1,968.87	893.10	1,091.19	967.73	1,016.56	2,985.43
2016-17	1,968.87	3,044.50	3,330.05	1,683.32	1,016.56	1,546.68	1,283.19	1,280.05	2,963.38

इसके अतिरिक्त, ग्राम पंचायतों के लेखों में पड़ी अनुपयोजित निधियों की स्थिति का पता नहीं लगाया जा सका क्योंकि पंचायत समिति या जिला परिषद स्तर पर इनका विवरण संकलित नहीं किया गया था।

पाँच साल के लिए अप्रचलित रहने के बावजूद पीडी खातों को बंद नहीं किया जाना राजस्थान कोषागार नियम, 2012 के नियम 98 के प्रावधानों का उल्लंघन था।

3.7 लघु शीर्ष "800-अन्य व्यय" के अन्तर्गत पुस्तांकन

लेखांकन की पारदर्शी प्रणाली का निर्णायक घटक है कि लेखों के प्रारूप, जिनमें सरकार की प्राप्तियों और व्ययों को विधानमण्डल को प्रतिवेदित किया जाता है, की निरन्तर समीक्षा और अद्यतन किया जाना चाहिए ताकि वे समस्त महत्वपूर्ण हितधारियों की बुनियादी सूचना की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु, सरकार के सभी मुख्य कार्यकलापों पर प्राप्ति एवं व्यय को पारदर्शी तरीके से वस्तुतः दर्शा सकें।

लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' को संचालित करने का विचार तब किया जाता है जब लेखों में उपयुक्त लघु शीर्ष उपलब्ध नहीं कराया गया हो। राजस्थान सरकार के वर्ष 2016-17 के वित्त लेखों की संवीक्षा में प्रकट हुआ कि 55 मुख्य लेखाशीर्षों (जो सरकार के कार्यों को दर्शाते हैं) के अन्तर्गत ₹ 10,123.30 करोड़ लघु शीर्ष "800-अन्य व्यय" के अन्तर्गत वर्गीकृत किये गये जो संबंधित मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत अभिलेखित कुल व्यय (राजस्व एवं पूँजीगत) का 7.02 प्रतिशत था।

मुख्य कार्यों जिनमें व्यय वित्त लेखों में अलग से नहीं दर्शाये गये परन्तु लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' के अन्तर्गत शामिल किये गये, नीचे सारांशीकृत किये गये है:

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	कार्य का नाम	राशि
1.	प्राकृतिक आपदा के कारण राहत (2245)	1,772.03
2.	सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय (5054)	1,447.76
3.	परिवार कल्याण (2211)	1046.88
4.	मुख्य सिंचाई (2700)	1011.58
5.	बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर (2040)	863.90
6.	शहरी विकास (2217)	800.15
7.	कृषि-कर्म (2401)	371.53
8.	शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय (4217)	314.86
9.	सड़क एवं सेतु (3054)	275.22
10.	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय (5475)	267.38
11.	सहकारिता (2425)	244.89

यद्यपि इन व्ययों का विवरण उप-शीर्ष (योजना) स्तर पर अथवा अनुदानों के लिए विस्तृत मांग के नीचे तथा सम्बन्धित शीर्षवार विनियोग लेखे, जोकि राज्य सरकार के लेखों के हिस्से हैं, में प्रदर्शित किया गया है, 'लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय' के अन्तर्गत पुस्तांकित वृहद् राशि वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता को प्रभावित करती है।

3.8 पुस्तक समायोजन

सामान्यत: राज्य के लेखे वित्तीय वर्ष के दौरान वास्तविक नकद प्राप्तियों तथा संवितरणों को प्रदर्शित करते हैं। तथापि, वर्ष 2016-17 के दौरान 68 मदों[4] में ₹ 11,747.53 करोड़, समेकित निधि से लोक लेखा अथवा लोक लेखा से समेकित निधि में पुस्तक समायोजन के द्वारा अंतरित किये गए। पुस्तक समायोजन मुख्यत: राज्य आपदा मोचन निधि से पूरित सूखा एवं बाढ़ इत्यादि पर व्यय, सेवारत कर्मचारियों के राज्य प्रावधायी निधि के शेषों पर ब्याज का समायोजन, सिंचाई परियोजनाओं के पूँजीगत व्यय पर ब्याज, राज्य आपदा मोचन निधि एवं राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि को केन्द्रयांश एवं राज्यांश का अन्तरण, जीवन बीमा निधि के शेषों पर ब्याज, केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान का हस्तांतरण और केन्द्रीय सड़क निधि से सड़कों पर किए गए व्यय की पूर्ति से संबंधित थे।

3.9 प्राप्तियों एवं व्ययों का मिलान

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के नियम 11(3) के अनुसार, सभी नियंत्रण अधिकारियों से अपेक्षित है कि वे राज्य सरकार की प्राप्ति एवं व्यय के आंकड़ों का मिलान प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक), राजस्थान द्वारा पुस्तांकित आंकड़ों से करें।

[4] मदों के विवरण राजस्थान सरकार के वर्ष 2016-17 के वित्त लेखे (खण्ड- I) के नोट्स टू अकाउन्ट (अनुलग्नक-'अ') में दिये गये हैं।

वर्ष 2016-17 के दौरान, (i) 407 नियंत्रण अधिकारियों द्वारा ₹ 1,62,099.88 करोड़ (निवल) के कुल व्यय का (ii) 166 नियंत्रण अधिकारियों द्वारा ₹ 1,09,053.84 करोड़ की कुल प्राप्तियों (विविध पूँजीगत प्राप्तियों सहित) का, शत प्रतिशत मिलान किया गया।

3.10 उचन्त लेखों के अन्तर्गत बकाया शेष

'संघ एवं राज्यों की मुख्य तथा लघु लेखा शीर्षों की सूची' के अनुसार, प्राप्ति एवं भुगतानों के संव्यवहार, जिन्हें इनकी प्रकृति अथवा अन्य कारणों की सूचना के अभाव में अंतिम लेखा शीर्ष में पुस्तांकित नहीं किया जा सकता है, को प्रतिबिम्बित करने के लिए सरकारी लेखों में कुछ मध्यवर्ती/समायोजनीय लेखाशीर्ष, जिन्हें ''उचन्त शीर्ष'' के रूप में जाना जाता है, संचालित किये जाते हैं। जब इन शीर्षों की राशि संबंधित अंतिम लेखे शीर्षों में पुस्तांकित कर ली जाती हैं तब ये लेखा शीर्ष, ऋण नामे अथवा ऋण जमा के द्वारा अंतिम रूप से समाशोधित कर लिये जाते हैं। यदि इन राशियों का समाशोधन नहीं होता, तो ये राशियाँ उचन्त शीर्षों के अन्तर्गत संचित रहती और सरकार की प्राप्तियाँ एवं व्यय सही प्रतिबिंबित नहीं होती है।

उचन्त शेषों का खाता, उप/विस्तृत शीर्षवार, जैसा भी आवश्यक हो, वेतन एवं लेखाधिकारी द्वारा संधारित किया जाता है।

31 मार्च 2017 को राजस्थान सरकार के वित्त लेखे में मुख्य शीर्ष ''8658-उचन्त लेखे" के अन्तर्गत ₹ 38.89 करोड़ (नामे) का कुल निवल शेष था। यह वर्ष 2014-15 में ₹ 11.26 करोड़ (नामे) से ₹ 27.63 करोड़ की वृद्धि दर्शाता है। वर्ष 2014-15 की तुलना में वर्ष 2016-17 में यह वृद्धि मुख्यत: वेतन एवं लेखा -उचन्त (₹ 15.46 करोड़) एवं स्रोत पर कर कटौती (टी डी एस) उचन्त (₹ 12.71 करोड़) शेष के अन्तर्गत हुई।

''8658-उचन्त लेखे'' के अन्तर्गत गत तीन वर्षों के उचन्त शेषों की स्थिति ***परिशिष्ट 3.7*** में दी गई है।

3.10.1 वेतन एवं लेखा कार्यालय-उचन्त

यह लघु शीर्ष, संघ सरकार के वेतन एवं लेखा कार्यालयों, संघ राज्य क्षेत्र के वेतन एवं लेखा कार्यालयों तथा महालेखाकार की पुस्तकों में उत्पन्न हुये अन्त: विभागीय एवं अन्त: सरकारी संव्यवहारों के निपटान के लिये प्रचालित किया जाता है। मार्च 2017 में, इस शीर्ष के अन्तर्गत ₹ 61.93 करोड़ का नामे शेष तथा ₹ 0.84 करोड़ का जमा शेष बकाया था। मुख्यत: ''वेतन एवं लेखा कार्यालय उचन्त'' में बकाया शेष का विवरण नीचे दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	राशि	
		नामे	जमा
1.	वेतन एवं लेखाधिकारी, केन्द्रीय पेंशन लेखाधिकारी वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली	54.32	0.04
2.	वेतन एवं लेखाधिकारी (राष्ट्रीय राजमार्ग) सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, जयपुर	7.53	0.33
3.	वेतन एवं लेखाधिकारी (विधि मामलात), विधि एवं न्याय मंत्रालय तथा भारत का सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली	0.05	0.34
4.	वेतन एवं लेखाधिकारी, निर्वाचक कार्यालय, विधि एवं न्याय मंत्रालय, नई दिल्ली	-	0.12

स्रोत: वित्त लेखे

उपरोक्त तालिका इंगित करती है कि 31 मार्च 2017 को इन विभागों/मंत्रालयों द्वारा अन्य वेतन एवं लेखाधिकारियों के निमित्त किये गये भुगतानों (नामे) अथवा प्राप्तियाँ (जमा) उनके द्वारा वसूल होने/भुगतान किये जाने थे। वेतन एवं लेखा कार्यालय उचन्त के अन्तर्गत नामे एवं जमा शेष तथा उनका लगातार संचित होना, महत्वपूर्ण नियंत्रण दोष को इंगित करता है।

3.10.2 उचन्त लेखे (सिविल)

यह अस्थायी लघु शीर्ष, उन संव्यवहारों के लेखांकन के लिये प्रचालित किया जाता है जिन्हें निश्चित सूचनाओं/दस्तावेजों जैसे वाउचरों, चालानों इत्यादि के अभाव में व्यय अथवा प्राप्ति के अन्तिम शीर्ष में नहीं लिया जा सकता है।

31 मार्च 2017 को इस लघु शीर्ष के अन्तर्गत ₹ 1.48 करोड़ (नामे) एवं (-) ₹ 0.02 करोड़ (जमा) बकाया शेष था, जो ₹ 1.50 करोड़ (नामे) की निवल प्राप्तियों एवं व्ययों को प्रदर्शित करता है। ''उचन्त लेखे (सिविल)'' शीर्ष में मुख्यत: बकाया शेषों का विवरण नीचे दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	राशि	
		नामे	जमा
1.	डाक लेखा के अन्तर्गत भवन निर्माण अग्रिम उचंत	0.63	(-) 0.02
2.	नियंत्रक रक्षा लेखा (पेंशन), इलाहाबाद	0.51	-
3.	नियंत्रक रक्षा लेखा (दक्षिणी कमान), पूणे	0.34	-

स्रोत: वित्त लेखे

उपरोक्त तालिका इंगित करती है कि किये गये भुगतान (नामे) अथवा प्राप्तियाँ (जमा) जिनके निपटान के लिए एकाकी रख-रखाव होना आवश्यक है को उनके लेखों के अंतिम शीर्षों में दर्ज नहीं किया गया। इसके आगे, वित्त लेखों के अनुसार रक्षा लेखा में वर्ष 1977-78 से ₹ 0.34 करोड़ (नामे) बकाया शेष थे

तथा डाक लेखा में वर्ष 1969-70 से भवन निर्माण अग्रिम उचन्त के अन्तर्गत ₹ 0.63 करोड़ (नामे) तथा (-) ₹ 0.02 करोड़ (जमा) बकाया शेष थे। ये पुराने शेष राज्य वित्त प्रतिवेदनों के साथ-साथ वित्त लेखों द्वारा पूर्व वर्षों में प्रतिवेदित किये गये हैं। तथापि, सुधार की कार्यवाही अभी तक लम्बित है।

3.10.3 सामग्री क्रय परिशोधन उचन्त लेखा

क्रय द्वारा अथवा अंत:प्रभागीय हस्तानान्तरणों के माध्यम से प्राप्त हुये भण्डारों के ऐसे सभी मामलों में, जहाँ भण्डारों की प्राप्ति के माह में ही भुगतान नहीं किया गया हो, को प्रारम्भ में इस उचंत शीर्ष के अन्तर्गत लेखाबद्ध किया जाता है। इस शीर्ष का समाशोधन आपूर्तिकर्त्ता/भण्डारों की आपूर्ति करने वाले प्रभाग को भुगतान करने पर प्रति प्रविष्टि (ऋणात्मक जमा) द्वारा किया जाता है। इस लघु शीर्ष के अन्तर्गत, तीन पूर्ण लेखा वर्षों से अधिक समय तक दावा न की गई शेष राशियों को, राजस्व में जमा द्वारा समाशोधित किया जाना चाहिये।

भण्डार क्रय के समायोजन के अभाव में इस लघु शीर्ष के अन्तर्गत 31 मार्च 2017 को (-) ₹ 3.16 करोड़ (जमा) बकाया शेष था। समाशोधित नहीं किया गया जमा शेष, सरकार के महत्वपूर्ण नियन्त्रण में कमी को इंगित करता है।

3.11 निष्कर्ष एवं सिफारिशें

विभागों को विशिष्ट उद्देश्यों के लिये स्वीकृत की गयी ₹ 9.32 करोड़ की अनुदान राशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्रों को प्रस्तुत नहीं करना समुचित अनुश्रवण के अभाव को इंगित करता है। नमूना जाँच के दौरान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (₹ 6.31 करोड़) तथा परिवार कल्याण विभाग (₹ 2.89 करोड़) में उपयोगिता प्रमाण-पत्रों को प्रस्तुत नहीं करने के मामले ध्यान में आये।

स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों द्वारा लेखों का प्रस्तुत नहीं किया जाना/विलम्ब से प्रस्तुत किया जाना पाया गया। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 14 के अधीन लेखापरीक्षा योग्य 58 स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों के लेखे पिछले एक से नौ वर्षों से बकाया थे।

सरकारी धन के दुर्विनियोजन, चोरी एवं हानि के ₹ 67.02 करोड़ की राशि के 877 बकाया प्रकरणों में से, ₹ 29.57 करोड़ के 306 प्रकरणों में विभागीय एवं आपराधिक जाँच प्रतीक्षित थी। इसके अतिरिक्त, ₹ 32.48 करोड़ के 505 प्रकरणों में वसूली/अपलेखन के आदेश भी प्रतीक्षित थे।

सिफारिशें:

10. उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के निर्धारित समय में प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करने हेतु ऐसे कारकों की पहचान की जानी चाहिए जिनके कारण प्रस्तुतिकरण में रुकावट आती है।

11. लेखों के बकायों के निर्धारित समय सीमा में निपटान हेतु नियंत्रक विभागों को स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों के लेखों के अन्तिमीकरण में विलम्ब के कारणों का विश्लेषण करना चाहिए एवं इनके समय पर प्रस्तुतिकरण हेतु उपयुक्त उपचारात्मक कार्यवाही की जानी चाहिए।

12. जालसाजी एवं दुर्विनियोजन के सभी प्रकरणों में विभागीय जाँच शीघ्रता से निपटानी चाहिये। ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति रोकने के लिये सभी संगठनों में आंतरिक नियंत्रण को सुदृढ़ किया जाना चाहिये।

आर जी विश्वनाथन

जयपुर,
21 फरवरी, 2018

(आर.जी. विश्वानाथन)
प्रधान महालेखाकार
(सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा), राजस्थान

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली,
23 फरवरी, 2018

(राजीव महर्षि)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक